पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 फरवरी, 2020 ई0 (फाल्गुन 10, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–09

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	165–169	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	145–150	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	07–08	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	81–108	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना
नियुक्ति

23 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 03/नो0के0/XXXVI–A–1/2020–924(4)/92 Vol–I–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, श्री हरीश चन्द्र सिंह चौहान, अधिवक्ता को दिनांक 23.01.2020 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला अल्मोड़ा की तहसील भिक्यासैंण में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यह भी निदेश देते है कि श्री हरीश चन्द्र सिंह चौहान का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 03/No-K/XXXVI-A-1/2020-924(4)/92Vol-I**, Dated January 23, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

January 23, 2020

No. 03/No-K/XXXVI-A-1/2020-924(4)/92Vol-I–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Harish Chandra Singh Chauhan, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 23.01.2020 for Tehsil Bhikeyasain, District Almora and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Harish Chandra Singh Chauhan be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना
नियुक्ति

28 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 06/नो0एम0/XXXVI–A–1/2020–13 नो0एम0/2011–T.C.–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, मा0 राज्यपाल, श्री सुबहान अहमद, अधिवक्ता को दिनांक 28.01.2020 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील गदरपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यह भी निदेश देते है कि श्री सुबहान अहमद का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 06/No-M/XXXVI-A-1/2020-13 No-M/2011 T.C.**, Dated January 28, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

January 28, 2020

No. 06/No-M/XXXVI-A-1/2020-13 No-M/2011 T.C.–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Subhan Ahmad, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 28.01.2020 for Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Subhan Ahmad be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

07 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 06/नो0एल0/XXXVI–A–1/2020–02 नो0एल0/2011–T.C.–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, मा0 राज्यपाल, श्री गंगा प्रसाद, अधिवक्ता को दिनांक 07.02.2020 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यह भी निदेश देते है कि श्री गंगा प्रसाद का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 06/No-L/XXXVI-A-1/2020-02 No-L/2011 T.C.**, Dated February 07, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

February 07, 2020

No. 06/No-L/XXXVI-A-1/2020-02 No-L/2011 T.C.–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Ganga Prasad, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 07.02.2020 for Tehsil Haldwani, District Nainital and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Ganga Prasad be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,

Secretary, Law-cum-L.R.

भाषा विभाग

अधिसूचना

23 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 424/XXXIX/2020–10(सा0)/2017–राज्यपाल, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित होगा।

आज्ञा से,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव (प्रभारी)।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 424/XXXIX/2020-10(G)/2017**, dated January 23, 2020 for general information.

NOTIFICATION

January 23, 2020

No. 424/XXXIX/2020-10(G)/2017–In exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttarakhand Language Institute Act, 2018 (Act No. 16 of 2018), the Governor is pleased to allow to constitute a Uttarakhand Language Institute to fulfillment of the purpose of said Act.

2. The headquarters of the said institute shall be located in Dehradun.

By Order,

VINOD PRASAD RATURI,
Secretary (In charge).

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

अधिसूचना

24 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 117/XXIV-C–3/2020–13(24)/2019–राज्यपाल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2002) की धारा–1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12 अप्रैल, 2002 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
प्रभारी, सचिव।

NOTIFICATION

January 24, 2020

No. 117/XXIV-C-3/2020-13(24)/2019–In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002 (Act No. 04 of 2002), the Governor hereby appoints the day of April 12, 2002 as the date on which the said Act shall come into force.

By Order,

VINOD PRASAD RATURI,

Secretary , In charge.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/65–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 फरवरी, 2020 ई0 (फाल्गुन 10, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 11, 2020

No. 24/XIV-a/32/Admin.A/2017–Sri Bhupendra Singh Shah, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 14.01.2020 to 28.01.2020.

NOTIFICATION

February 13, 2020

No. 25/XIV-a/38/Admin.A/2016–Ms. Krishtika Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 25.01.2020 to 05.02.2020.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालयः राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

07 फरवरी, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 7338/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti.Vol.II/2019–20/देहरादून–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 7326/CT–07, दिनांक 06 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4387/CT–44, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 में विद्यमान परंतुक के पश्चात् परंतुक अंतःस्थापित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

06 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 7326/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2019–20/CT–07–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिस इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा–168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड (राज्य कर विभाग) की अधिसूचना संख्या 4387/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2019–20/CT–44, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हूँ, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना के वर्तमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु यह भी कि जनवरी, 2020, फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए ऐसे करदाताओं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 05 करोड़ रु0 तक है, के द्वारा उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्रमशः 24 फरवरी, 2020, 24 मार्च, 2020 और 24 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व दाखिल की जाएगी"।

सौजन्या,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

February 06, 2020

No. 7326/CSTUK/GST-Vidhi Section/2019-20/CT-07–In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commissioner State Tax Uttarakhand (State Tax Department) No. 4387/CSTUK/GST-Vidhi Section/2019-20/CT-44, dated 16th October, 2019, namely:–

In the said notification, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided also that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of January, 2020, February, 2020 and March, 2020 for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five Crore in the previous financial Year shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th February, 2020, 24th March, 2020 and 24th April, 2020, respectively."

SOWJANYA,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय डॉ0 आर0 एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

11 फरवरी, 2020 ई0

पत्रांक 317 चार–31/2019/टी0सी0यू0–डॉ0 आर0 एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड कैडर) के 02 अधिकारियों हेतु 19 अगस्त से 21 सितम्बर, 2019 की अवधि में दसवाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित की गई तथा परीक्षाफल की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें श्री हिमांशु बागरी डी0 एफ0 ओ0, तराई वैस्ट का नाम त्रुटिवश श्री हिमांशु बागड़ी प्रकाशित हो गया था। अतः उपरोक्त भूल को सुधार कर पुनः सही नाम से विज्ञप्ति जारी की जा रही है।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	विषय			
1.	श्री हिमांशु बागरी	A	B	C	D

विषयक संकेतः

A- Forest Acts and Laws

B- Revenue Laws and Acts

C- Public Administration

D- Financial Administration

नैनीताल, दिनांक : 14 जनवरी, 2020

राजीव रौतेला,
निदेशक।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

09 जनवरी, 2020 ई0

पत्रांक 24/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-4218/2020–वाहन संख्या UK06CB-4218 (TIPPER), मॉडल 2019, चेसिस संख्या MA1QGAPRDJ6F97910 तथा इंजन संख्या ECJZF17746, कार्यालय में श्रीकृष्ण यादव पुत्र श्री रामधारी यादव, निवासी वार्ड नं0 बसगर, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन जल जाने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 29.02.2020 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CB-4218 (TIPPER) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1QGAPRDJ6F97910 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

09 जनवरी, 2020 ई0

पत्रांक 34/टी0आर0/पंजी0नि0/HR20W-8880/2020–वाहन संख्या HR20W-8880 (MOTOR CAR), मॉडल 2011, चेसिस संख्या MBJB49BTX000010890811 तथा इंजन संख्या 1ND1188273, कार्यालय में श्री आदिल नवाज पुत्र श्री गफूर, निवासी म0नं0–51, मदईपुरा, वार्ड–4, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन आग लगने से पूरी तरह से जल गया, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR20W-8880 (MOTOR CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MBJB49BTX000010890811 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

आदेश

06 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या–871/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखतें हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगाः–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती भारती पत्नी श्री सुनील बहुगुणा, ग्राम जवाड़ी, जनपद रुद्रप्रयाग, पिन–246171	UK-1320180001031, VALIDITY (NT), 27.06.2038	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	06.12.2019 से 05.03.2020
2.	श्री अनूप कुमार पुत्र श्री कुंदन लाल, ग्राम दरमोला, पो0 माई की मंडी, जनपद रुद्रप्रयाग, पिन–246171	UK-1320160009324, VALIDITY (NT), 13.03.2036	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	06.12.2019 से 05.03.2020
3.	श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री बेनी लाल, ग्राम व पो0 बष्टी, ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग	UK-1320110000401, VALIDITY (T), 01.05.2021, VALIDITY (NT), 05.04.2031	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	06.12.2019 से 05.03.2020
4.	श्री सरोप सिंह नेगी पुत्र श्री मंगशीर सिंह नेगी, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्र नगर, पिन–249145	UK-1420060037550, VALIDITY (T), 06.02.2021, VALIDITY (NT), 06.02.2026	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	06.12.2019 से 05.03.2020

1	2	3	4	5	6
5.	श्री अमन पुत्र श्री ओंकार, 12ए/1सी, विजय मोहल्ला नियर बाघ सोसाइटी, मौजपुर, दिल्ली, पिन–110053	DL-0720140189929, VALIDITY (NT), 25.02.2034	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	06.12.2019 से 05.03.2020
6.	श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री भगवान सिंह, ग्राम व पो0 जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग, पिन–246141	UK-1320150007101, VALIDITY (NT), 02.09.2031	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग	ARTO, RUDRAPRAYAG	06.12.2019 से 05.03.2020
7.	श्री जितेन्द्र लाल पुत्र श्री छोटे लाल, ग्राम बष्टा, पो0 सिद्धसौर, जनपद रुद्रप्रयाग	UK-1320140005574, VALIDITY (NT), 23.04.2034	ओवरस्पीड व खतरनाक संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	06.12.2019 से 05.03.2020

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/65–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 फरवरी, 2020 ई0 (फाल्गुन 10, 1941 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, देहरादून

सूचना

19 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 1364/त्रि0पंचा0निर्वा0–2020/2020–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–4212/रा0नि0आ0–2/2836/2019, देहरादून दिनांक 18 फरवरी, 2020 द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243ट के अधीन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–329/XII(1)–2020–86(87)/2017, दिनांक 17 फरवरी, 2020 के क्रम में ग्राम पंचायतों के उपप्रधान पद पर निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

अतः, मैं, डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), देहरादून की 401 ग्राम पंचायतों के उप प्रधान के पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निम्न समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचन कराये जाने का आदेश देता हूँ। इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
26.02.2020 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	26.02.2020 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	26.02.2020 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 04:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उपप्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के निर्वाचन के लिए दिनांक 26.02.2020 को बैठक आहूत की जाती है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की समस्त कार्यवाही करेंगे। उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर (धार्मिक स्थल को छोड़कर) ही आहूत की जायेगी, किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर उक्त बैठक कदापि आहूत नहीं की जायेगी।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी उक्त निर्वाचन का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे और समस्त ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से इसकी जानकारी/सूचना देंगे।

स्थान–देहरादून
दिनांक–19.02.2020

डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत), देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/65–भाग 3–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 फरवरी, 2020 ई0 (फाल्गुन 10, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

23 नवम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 567/उपविधि 2019–2020/मुनिकीरेती–नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2019" बनायी जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये उप–नियम नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2019" कहलायेगा।

(2) ये उप–नियम नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप–नियम नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है और परिवार और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, वह इस समय सोचनीय प्रबन्धन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1. राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः

इस पहलू को सम्बोधित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तन्दुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहें। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही साथ फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था। एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों में नगर और शहरों में बनी रह सके।

1.2. उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकोलः

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2015, दिनांक 10.12.2015 में निम्न निर्देश निर्गत किए है जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध से सम्बन्धित है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकोल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेंसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बॉयो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबन्ध किया जाये और उसके परिणाम स्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है, वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगरपालिका की होगी।

उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975/नगरपालिका अधिनियम, 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबन्ध के लिए तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/IV(2)–श0वि0–2017–50(सा0)/16, दिनांक 22.05.2017 राज्य का सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबन्ध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा–निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबन्ध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैंनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध का नियमितीकरणः

सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 597/IV(2)–श0वि0–2017–50(सा0)/16, दिनांक 22.05.2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला नियमित ढाँचा रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध उपनियम के अन्तर्गत, जो कि यहाँ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः–

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रख–रखाव और शौचालय के गड्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रख–रखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।

2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबन्ध के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे।

- जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन:

1. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

2. फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिहवन हेतु इस्तेमाल किये जायेगें फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल स्लज और सेप्टेज के सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर का अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंतर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा।

5. सुरक्षा उपाय:

1. उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा, दियर का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित है।

2. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि:

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते है। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य. धूम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना–जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हॉल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट–ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	:	रू0 1500.00 प्रति गाड़ी
स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	:	रू0 1,000.00 प्रति गाड़ी
द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार	:	रू0 1,000.00 प्रति गाड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

• पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है।

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि निकाय कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे

भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकाय फंड में जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब. निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल सलज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकार देगा कि वह इसकी लागत वसूल करें और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना पड़ेगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः–

क्र.सं.	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है	मासिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।
1	टीनशैड वाला मकान	1000	कम से कम 2–3 वर्ष में एक बार	50
2	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक 2 होते है	100
3	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्श में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो	125
4	सूस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5	बैंक	3500		312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000		500
7	रेस्टोरंट	2000		500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1–10 कमरें	3500		250
9	होटल अतिथि गृह 11–20 कमरें	4000		250
10	होटल अतिथी गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11	धर्मशाला 1– 25 कमरें	3500		625
12	धर्मषाला 15 कमरें से ज्यादा	5000		200
13	3स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750

15	सरकारी स्कूल/कॉलेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/कॉलेज	2500		500
17	2 व्हीलर व्हीकल शौरूम	2000		625
18	4 व्हीलर वाहन शौरूम	2500		500
19	सिनेमा हॉल	3500		625
20	होटल 0–20 कमरें	3500		1250
21	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23	विवाह हॉल/बैंकेट हॉल	3500		1100
24	बार	3500		625
25	सरकारी हॉस्पीटल	3000		625
26	नर्सिंग हॉम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	3500		500
29	निजी अस्पताल 20 से 50 विस्तर तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 विस्तर से अधिक	5000		1500
31	चावल की मिल/अन्य मिल	3500		1750
32	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र में	4000		500
33	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र से बाहर	3500		1500

नोटः

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला द्वारा निर्णित किये जायेगें।
2. मल निस्तारण विशेष समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पालिका परिशद,मुनिकीरेती–ढालवाला द्वारा स्वीकृत है)।
3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ायी जायेगी।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/ नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती–ढालवाला द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला में जमा होगी।

8.3 नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला को अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

9. दंडः

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का/आर. एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी.3: दंड

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना	5000	10000	
5	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

सार्वजनिक सूचना

23 नवम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 566/उपविधि 2019–2020/मुनिकीरेती–नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 की उपधारा–1(ii) (iii) एवं धारा–294 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गई ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016 के नियम 15(ङ), 15 (च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम–2019" बनायी जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुनि-की-रेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद्र प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये **उप–नियम नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019 कहलाऐगा।**

(2) ये उप–नियम नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि–2014, गजट नोटिफिकेशन 09 मार्च 2016 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला **ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019** लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप–नियम नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं**

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:–

(क) **"बल्क उघान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार,कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग,टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन** का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम–2016(जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम. नियम–2019 कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सफाई निरिक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर पालिका परिषद,मुनिकीरेती–ढालवाला के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ङ) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पालिका परिषद या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका परिषद के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं।

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)"** का अर्थ है, एक ऊर्जा चलित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है।

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) **" संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालीयो को साफ करने के लिये नगर निगम/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगर पालिका द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट "** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम–2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2
ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगा:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पालिका परिषद के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–

(क) गैर–जैव अपघटीय सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरें को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पालिका परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः–

हराः– जैव अपघटीय /गीले कचरे के लिए;

नीलाः– गैर–ज़ैव अपघटीय या सूखा कचरे के लिए;

कालाः– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पालिका परिषद के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरें का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पालिका परिषद की भागीदारी के साथ,सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पालिका परिषद के भागीदारी सें, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहक़र्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका परिषद को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पालिका परिषद द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या सूखे कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय–समय पर नगर पालिका परिषद के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पालिका परिषद या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय–समय पर

उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–

(i) नगर पालिका परिषद के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर–घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका परिषद संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पालिका परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 01 बजे तक होगा अथवा नगर पालिका परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(iv) सब्जी,फल, फूल, रेस्टोरेंट और होटल, बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पालिका परिषद द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड(iv) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पालिका परिषद द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पालिका परिषद द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पालिका परिषद अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी,ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पालिका परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पालिका परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पालिका परिषद या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा।

(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:–

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीला: गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पालिका परिषद समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेंगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पालिका परिषद स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस–पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपोओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पालिका परिषद या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर पालिका परिषद या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पालिका परिषद अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पालिका परिषद से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पालिका परिषद अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर पालिका परिषद द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पालिका परिषद द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम–2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर पालिका परिषद कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतो से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों , तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xvx) नगर पालिका परिषद अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(i) नगर पालिका परिषद ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौधोगिकियो सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पालिका परिषद रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पालिका परिषद सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देश:–

(i) नगर पालिका परिषद सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पालिका परिषद यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पालिका परिषद यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाएगा।

(iv) नगर पालिका परिषद कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पालिका परिषद अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद अथवा अध्यक्ष/ नगर पालिका परिषद द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति/कार्मिक द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पालिका परिषद इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पालिका परिषद ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 11 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12. एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंड :–

(क) एसडब्ल्यू.एम. नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी स्वास्थ्य निरिक्षक, कर निरिक्षक,सब इन्स्पेक्टर, चौकी,थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों /कर्मचारियो को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–

(i) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोज़ित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पालिका परिषद से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध सफाई निरिक्षक द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पालिका परिषद की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पालिका परिषद के सम्बद्ध सफाई निरिक्षक को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका परिषद निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगर पालिका परिषद किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय–समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका परिषद निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :–

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पालिका परिषद को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका परिषद इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने

सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पालिका परिषद के दायित्व :

(i) नगर पालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका परिषद अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(ii) नगर पालिका परिषद अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियो को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका परिषद जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पालिका परिषद अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल सफाई कार्मिक अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पालिका परिषद सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पालिका परिषद कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर पालिका परिषद विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को

पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पालिका परिषद स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(x) नगर पालिका परिषद ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पालिका परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पालिका परिषद कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी/ कार्मिक तत्काल नगर पालिका परिषद को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी / कार्मिक को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच : अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एस.डब्ल्यू.एम. नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पालिका परिषद अपने मुख्यालय में कॉल सैंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पालिका परिषद एस.डब्ल्यू.एम. नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आई.सी.टी. प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर पालिका परिषद एस.डब्ल्यू.एम. नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अन्तिम होगा।
16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगरपालिका परिषद् अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3		
क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में)		
		अलग–अलग देने पर	मिश्रित देने पर	घर से उठान पर
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी0पी0एल0 कार्डधारक)	कच्ची झोपड़ी ₹ 20.00 (प्रतिमाह)	पक्का मकान ₹ 30.00 (प्रतिमाह)	₹ 150.00 प्रति परिवार (प्रतिमाह)
2.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0 कार्डधारक के अतिरिक्त ₹ 5,000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	अलग–अलग देने पर	मिश्रित देने पर	घर से उठान पर
		₹ 30.00 (प्रतिमाह)	₹ 60.00 (प्रतिमाह)	₹ 150.00 (प्रतिमाह)
3.	मध्यम आय वाले घर (₹ 5,000.00 से अधिक ₹ 10,000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	अलग–अलग देने पर	मिश्रित देने पर	घर से उठान पर
		₹ 40.00 (प्रतिमाह)	₹ 80.00 (प्रतिमाह)	₹ 150.00 (प्रतिमाह)
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	अलग–अलग देने पर	मिश्रित देने पर	घर से उठान पर
		₹ 50.00 (प्रतिमाह)	₹ 100.00 (प्रतिमाह)	₹ 150.00 (प्रतिमाह)
5.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 6.00 प्रतिदिन, दुकान एवं फड़ पर ₹ 10.00 प्रतिदिन		
6.	रेस्टोरेन्ट	छोटे ₹ 300.00, मध्यम ₹ 800.00 तथा बड़े ₹ 2,000.00 (प्रतिमाह)		
7.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक ₹ 1,000.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 2,000.00 एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 4,000.00 (प्रतिमाह)		
8.	धर्मशाला	₹ 50 प्रति कमरा प्रतिमाह		

1	2	3
क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में)
9.	बरातघर (चेरिटेबिल), बरातघर (नॉन–चेरिटेबिल)	₹ 1,000.00 प्रति उत्सव ₹ 1,500.00 प्रति उत्सव
10.	बेकरी	₹ 150.00 (प्रतिमाह)
11.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक ₹ 200.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक ₹ 400.00, 101 से 300 कर्मचारियों तक ₹ 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से ₹ 1,000.00 (प्रतिमाह)
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100 बेड तक के लिए ₹ 1,500.00, उससे अधिक ₹ 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त (प्रतिमाह)
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक ₹ 750.00, उससे अधिक ₹ 1,200.00 (प्रतिमाह)
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक ₹ 500.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 1,000.00 एवं 41 से 100 बेड तक ₹ 2,000.00, उससे अधिक ₹ 25,000.00 (प्रतिमाह)
15.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक ₹ 100.00, पैथोलॉजी ₹ 500.00 (प्रतिमाह)
16.	दुकान/चाय की दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान ₹ 50.00, बाजार की दुकान ₹ 100.00, शोरुम ₹ 300.00, छोटे मॉल ₹ 1,000.00, बहुमंजिला मॉल ₹ 2,000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क (प्रतिमाह)
17.	फैक्ट्री	छोटी ₹ 1,000.00, मध्यम ₹ 1,500.00, बड़ी ₹ 2,000.00 (प्रतिमाह)
18.	वर्कशॉप	छोटी ₹ 400.00, बड़ी ₹ 1,000.00 (प्रतिमाह)
19.	कबाड़ी	छोटी ₹ 200.00, बड़ी ₹ 500.00 (प्रतिमाह)
20.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	₹ 10.00 प्रतिदिन (प्रतिमाह)
21.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹ 600.00 होटलों में, विवाह ₹ 2,000.00 प्रति उत्सव
22.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Construction and Demolition Waste)	0.50 घन मी0 तक ₹ 200.00, 1.0 घन मी0 तक ₹ 400.00, 3.0 घन मी0 तक ₹ 1,000.00, 6.0 घन मी0 तक ₹ 2,000.00, इससे अधिक प्रतिघन मी0 ₹ 200.00 अधिक
23.	सिनेमा हॉल	₹ 600.00 प्रतिमाह
24.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	₹ 200.00 से ₹ 2,000.00 तक (प्रतिमाह)

नोटः–इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार लगाया जायेगा।

अनुसूची–2

जुर्माना/दण्ड

क्र0 सं0	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (₹)
1.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय	₹ 200.00
			बल्क जनरेटर	₹ 500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले स्थल	₹ 10,000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	₹ 5,000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	₹ 500.00
			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	₹ 500.00
	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(2)	सड़क/गली में 1. कूड़ा फेकना, थूकना	उल्लंघनकर्ता	₹ 200.00 से ₹ 500.00 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत होगी

क्र0 सं0	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (₹)
		2. खुले में नहाना, पेशाब करना, जानवरों को चारा खिलाना, कपड़े धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्लंघनकर्ता	₹ 500.00
2.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना	आवासीय	₹ 200.00
			गैर–आवासीय/बल्क जनरेटर	₹ 500.00
3.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना	आवासीय	₹ 1,000.00
			गैर–आवासीय/बल्क जनरेटर	₹ 5000.00
4.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	₹ 5000.00
5.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	₹ 10,000.00
6.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने, अपशिष्ट भण्डारण डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	₹ 200.00

क्र0 सं0	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (₹)
7.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, गलियों आदि में गन्दगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/ उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	₹ 500.00
8.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर0डब्ल्यू0ए0	₹ 10,000.00
			बजार एसोसिएशन, संघ	₹ 20,000.00
9.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	₹ 10,000.00
			संस्थान	₹ 20,000.00
10.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	₹ 50,000.00
			रेस्टोरेन्ट	₹ 20,000.00
11.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेज़िंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किए बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/ब्रॉड ऑनर/ स्वामी	₹ 1,00,000.00
12.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियाँ	₹ 50,000.00
13.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 15य(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	₹ 50,000.00

क्र0 सं0	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (₹)
14.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाड़ियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लॉस्टिक या कागज अपशिष्ट को फेकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	₹ 1,000.00
15.	एस0डब्ल्यू0एम0 नियमों का नियम 20(घ)	नगरपालिका परिषद् की उपविधि को होटल/अतिथिगृह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता सार्वजनिक सभाओं (जलूस, प्रदर्शनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियाँ, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिविधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	उल्लंघनकर्ता/होटल/अतिथिगृह स्वामी आयोजनकर्ता	₹ 1,000.00 ₹ 5,000.00

बी0 पी0 भट्ट,
अधिशासी अधिकारी।

रोशन रतूड़ी,
अध्यक्ष।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/65–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।